classmate
Date
Page

DATE: 03/10/2020
CLASS: B.A.(H) PART-2ND
SUBJECT: POLITICAL SCIENCE
PAPER: III (INDIAN GOVERNMENT & POLITICS)
CH: 10 (GOVERNOR)
LECTURE NO. 06

By,
OM KUMAR SINGH
ASSISTANT PROFESSOR
DEPTT. OF POL. SCIENCE
D.B. COLLEGE, JAYNAGAR
LNMU, DARBHANGA

राज्यपाल की स्थिति या भूमिका
Position or role of the Governor.

भारतीय राज्यपाल की स्थिति या भूमिका के सन्दर्भ में दो प्रकार के दृष्टिकोण हैं, एक राज्यपाल को राज्य का केवल संवैधानिक प्रधान मानता है और दूसरा, इसकी भूमिका को संवैधानिक प्रधान से भी अधिक अर्थात् दूसरे दृष्टिकोण के अनुसार राज्य के संवैधानिक प्रधान तो होता है ही एवं इसके साथ-साथ इससे भी अधिक महत्वपूर्ण होता है। राज्यपाल की स्थिति को सही रूप से समझने के लिए इन दोनों दृष्टिकोणों का अध्ययन किया जा सकता है—

(1) राज्यपाल संवैधानिक प्रधान के रूप में —
(Governor as a Constitutional Head)

संघ की तरह ही राज्यों में भी संसदीय शासन व्यवस्था की गयी है, इसमें शासन की शक्तियाँ मंत्रिपरिषद में निहित होती है और यह मंत्रिपरिषद व्यवस्थापिका के निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होता है। अतः मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद राज्य की वास्तविक प्रधान है और राज्यपाल केवल एक संवैधानिक प्रधान।

अनुच्छेद 163 (1) के अनुसार, "स्वविवेकाधिकार को छोड़कर राज्यपाल अपने कार्यों को करने में सहायता व मंत्रणा हेतु राज्य में एक मंत्रिपरिषद होगा।"

Scanned with CamScanner

Date
Page

संविधान निर्माताओं ने भी राज्यपाल के लिए राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को आवश्यक बतलाया है। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्यपाल के निर्वाचन संबंधी सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए मनोनयन के सिद्धांत को अपनाया गया, ताकि वह संवैधानिक प्रधान ही रहे, वास्तविक प्रधान नहीं।

राज्यपाल के पद पर कार्य कर चुके सरोजिनी नायडू, श्री प्रकाश एवं श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित के कथनों से स्पष्ट हो जाता है कि राज्यपाल केवल संवैधानिक प्रधान होता है। ये कथनें इस प्रकार हैं —

" मैं अपने आपको सोने के पिंजड़े में बन्द चिड़िया मानती हूँ "
— सरोजिनी नायडू

" मुझे पूरा विश्वास है कि मैं केवल संवैधानिक अध्यक्ष हूँ जिसे छुटी हुई जगहों पर हस्ताक्षर करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं करना है। "
— श्री प्रकाश

" यदि कोई व्यक्ति इस पद को स्वीकार करता है तो उसको पद नहीं वरन् वेतन का आकर्षण है। "
— विजयलक्ष्मी पंडित

सुनील कुमार बोस बनाम मुख्य सचिव, पं. बंगाल सरकार के विवाद में निर्णय देते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय कहा कि, " वर्तमान संविधान में राज्यपाल मंत्रियों की सलाह के बिना कोई भी काम नहीं कर सकता, उसकी स्वविवेक या व्यक्तिगत रूप से कार्य करने की शक्ति को छीन लिया गया है। इसीलिए उसे अपने मंत्रियों की सलाह से कार्य करने चाहिए। "

इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि राज्यपाल केवल संवैधानिक प्रधान होता है।

Scanned with CamScanner

(3) राज्यपाल : संवैधानिक अध्यक्ष से अधिक

द्वितीय दृष्टिकोण के अनुसार राज्यपाल राज्य का एक संवैधानिक प्रधान तो है ही इससे अधिक भी कुछ है। संविधान निर्माताओं की धारणा के अनुसार सामान्य परिस्थितियों में राज्यपाल एक संवैधानिक प्रधान के रूप में कार्य करेगा, लेकिन विशेष परिस्थितियों में उसकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण हो सकती है।

राज्य शासन राज्यपाल की शक्तियाँ वास्तविक न होते हुए भी राज्यशासन में उसका स्थान सबसे अधिक सम्मानित और प्रतिष्ठित होता है। राज्यपाल दलगत राजनीति से ऊपर उठकर निष्पक्षता के साथ मंत्रिगण से आवश्यकतानुसार मन्त्रणा प्राप्त कर सकता है। वह निर्दलीय व्यक्तित्व के आधार पर राज्य के शासन की ढुलमुल और अस्थायी राजनीति में स्थायित्व और स्थिरता लाने की स्थिति में होता है। यदि प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला और कर्मशील व्यक्ति राज्यपाल बनता है तो वह विरोधी पक्ष और मंत्रिपरिषद के मध्य उत्पन्न मतभेदों बड़ी ही कुशलता से निपट लेता है। राज्य शासन को सुगम, सुचारु और कार्यकुशल बनाने में राज्यपाल की महती भूमिका होती है।

एम. वी. पायली के अनुसार, " राज्यपाल मंत्रिमंडल का सूझ-बूझ वाला परामर्शदाता है जो राज्य की अशान्त राजनीति में शान्त वातावरण पैदा कर सकता है।"

के. एम. मुंशी का कथन है कि " कुछ परिस्थितियों में राज्यपाल द्वारा बहुत अधिक हितकारी और प्रभावशाली रूप में कार्य किया जा सकता है।"

इस प्रकार राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रधान होने के साथ-साथ और भी कुछ है इनका स्थान महत्वपूर्ण है।

Scanned with CamScanner